23

206

संख्या :– 95 /XVII-4/2018-01(82)/2014

प्रेषक,

डॉ0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–4

दिनांक : देहरादून 16 फरवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रियात्मक कार्यवाही की तिथियों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–72/XVII-4/2018–01(82)/2014 दिनांक 31.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु पंजीकरण/आवेदन की तिथि, जो पूर्व में 31.01.2018 निर्धारित थी को दिनांक 15.02.2018 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या–4478 दिनांक 06.02.2018 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में शासनादेश संख्या–787/XVII-4/2017–01(82)/2014 दिनांक 01.01.2018 द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु शिक्षण सत्र वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित समय सारणी की तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

क्र.स.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना।	15.02.2018
2	संबधित शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा प्राप्त आनलाईन आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना	28.02.2018
3	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की तिथि	15.03.2018
4	सम्बन्धित छात्र–छात्रा द्वारा पुनः त्रुटि ठीक कर आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करने की तिथि।	15.03.2018
6	सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जॉच जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना।	15.03.2018
7	सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ई0बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं की सूची सम्बंधित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	25.03.2018
8	सम्बधित कोषाधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के सी.बी.एस. खातो में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण किया जाना	31.03.2018

3. उक्त के अतिरिक्त कक्षा 01 से 10 की कक्षाओं हेतु छात्रवृति स्वीकृति एवं वितरण हेतु शिक्षण सत्र वर्ष 2017–18 से समय–सारिणी की तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

क्र.स.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा ऑन लाईन छात्रवृति सूची तैयार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करना।	15.02.2018
2	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रों का भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित कार्य कराना।	15.03.2018

33780

3	समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त कोषागार के माध्यम से छात्रो/अभिभवाको के सी0बी0एस0 बैंक खातो मे छात्रवृति की धनराशि का ऑनलाईन भुगतान करना।	25.03.2018

छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

15/2/2018

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 95 /XVII-4/2018-01(82)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-**

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-मा0 मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निजी सचिव-सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डी.आई.ओ. एन.आई.सी.) उत्तराखण्ड।
15. नोड्ल अधिकारी, समाज कल्याण, आई0टी0सैल, देहरादून।
16. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।